

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2015

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उसकी सेवा का नाम जिस में वह हो:- प्रमोद कुमार शर्मा (म0प्र0 विल्ल सेवा)
2. वर्तमान धारित पद:- विल्ल नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. वर्तमान मूल वेतन रु. 56,400/- ग्रेड पे:- 8900/- 4. अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई, 2015

उस जिले उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीयकर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस अर्जित किया गया 'खरीद, पट्टा चिरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसकी अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ब्यौरा	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला -सीहोर संभाग-भोपाल तहसील-बुधनी ग्राम-इटारसी (सलकनपुर)	-	कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 46/5 रकबा 1.437 हेक्टर 4. 20 एकड़. पटवारी हलका न012 ग्राम इटारसी (सलकनपुर)	अनुमानित रु 1.50 लाख से 2. 00 लाख प्रति एकड़	स्वयं के नाम पर	स्वर्गीय नानाजी श्री दामोदर दास शर्मा द्वारा की गई वसीयत, जो अक्टूबर 1975 में की गई थी, के अनुसार 4. 20 एकड़ भूमि मेरे नाम से अर्जित है।	अनुमानित 20,000	कृषि भूमि से अनुमानित आय रु 50,000 मेरे भतीजे श्री अर्जुन शर्मा जो कृषक है, द्वारा ही रखी जाती है क्योंकि वही खेती की देखभाल करते हैं।

Amra

तदैव	30,000 ----- कुल राशि 50,000/-		स्वयं के नाम से	अनुमानित रु. 2.00 लाख से 2. 50 लाख प्रति एकड़	कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 79/1 एकड़ - 2.023 हेक्टर (5.00 एकड़) पटवारी हलका न012 ग्राम इटारसी (सलकनपुर)	-	2.---तदैव---
3 जिला - भोपाल संभाग - भोपाल, म.प्र.	24,000	स्वयं के नाम से	अनुमानित रु. 4.75 लाख	...	भोपाल में गृह (फ्लैट नं. 1, प्लॉट 378, ई-8 त्रिलोचन सिंह नगर, भोपाल (म.प्र.)		स्वर्गीय माताजी श्रीमती सुदेश शर्मा के नाम दर्ज भूमि में से 5.00 एकड़ भूमि का नामांतरण मेरे नाम होने से 5.00 एकड़ भूमि मेरे नाम से अर्जित है।
		वित्त विभाग, म0प्र0 शासन को गृह (फ्लैट) कय की सूचना दिनांक 14.01.1995 को दी गई जिसे शासन द्वारा मान्य किया गया। राशि की व्यवस्था निम्नानुसार से की गई। रु 0.85 लाख जी.पी.एफ. से रु 1. 91 लाख शासन से प्राप्त गृह निर्माण अग्रिम से रु 0.24 लाख स्वयं की बचत से कय दिनांक 19. 12.1995 अदिति बिल्डर्स भोपाल से।					

Sharma

<p>4. जिला - भोपाल संभाग- भोपाल,म.प्र.</p>	<p>भोपाल में मकान (E-5-182 अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र.)</p>		<p>अनुमानित रु.75.00 लाख</p>	<p>स्वयं के नाम (नामांतरण होने पर)</p>	<p>स्वर्गीय पिताजी श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा की गई वसीयत से, जो दिनांक 26.7.2006 में की गई,के अनुसार यह मकान मेरे नाम नामांतरण नायब तहसीलदार के पत्र क्रमांक/217/प्रवाचक /10दिनांक4.6.2010 से हुआ है। मेरे द्वारा वित्त विभाग को इस मकान नामांतरण की सूचना पत्र दिनांक 24.7.2010 द्वारा दी जा चुकी है।</p>	<p>-</p>
<p>5. जिला - भोपाल संभाग- भोपाल,म.प्र.</p>	<p>भोपाल में भूखण्ड (5000 Sq Feet) खसरा नं. 24.25/1/1/3 एकड,ग्राम गोहूँ, खेडी कोलार रोड भोपाल म0प्र0</p>		<p>अनुमानित रु.20.00 लाख</p>	<p>स्वयं के नाम (नामांतरण होने पर)</p>	<p>स्वर्गीय पिताजी श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा की गई वसीयत से, जो दिनांक 26.7.2006 में की गई,के अनुसार यह भूखण्ड मेरे नाम हस्तांतरित हुआ है। मेरे द्वारा वित्त विभाग को इस भूखण्ड के हस्तांतरण की सूचना पत्र दिनांक 24.7.2010 द्वारा दी जा चुकी है।</p>	<p>-</p>

Sharma

जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

” ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

” इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल संपत्ति के ब्यौटा दें ।

(अ) हस्ताक्षर



(ब) नाम

प्रसाद शर्मा

(स) पद

फिन चिर्मंत्रक, जीवजी विज्ञानविद्यालय
उच्चशिक्षा (अ.प्र.)